बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

का

वर्ष 2023-24 के लिए

मांग संख्या-45 पर

माननीय मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता

का

वक्तव्य

हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला में गन्ना उद्योग विभाग के स्टॉल का
विभागीय पदाधिकारियों के साथ उद्घाटन करते हुए
माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता**

ईखायुक्त तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला में
गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रदर्शनी में स्थापित दृष्यों का अवलोकन एवं
निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता**

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

श्री आलोक कुमार मेहता

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार

का

बजट सत्र 2023-24 के लिए
मांग संख्या-45 पर

अभिभाषण

श्री आलोक कुमार मेहता

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार

का बजट सत्र 2023-24 के दौरान सदन में अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 53.95 लाख हेक्टेयर है जिसमें गन्ने की खेती लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर में होती है जो कृषि योग्य भूमि का 5.56 प्रतिशत है। वर्त्तमान परिवेश में गन्ने की खेती पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। गुड़ उत्पादन हेतु अन्य जिलों में भी कमोवेश गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की सबसे अधिक खेती प0 चम्पारण जिले में होती है। गन्ना एक नगदी फसल है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। गन्ने की खेती में आय धान–गेहूँ फसल से अधिक प्राप्त होती है। चीनी उद्योग से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। साथ ही चीनी उद्योग के सह उत्पाद से इथेनॉल एवं विद्युत उत्पादन भी राज्य में किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनायें है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में भी गुड़ उत्पादन ग्रामीण आय का एक मुख्य स्रोत है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ना आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

महोदय,

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अवयव की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ–

राज्य योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में कृषि रोड मैप अतंर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल 2878.21 लाख रू० की लागत से ईख विकास की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। जिससे गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ–साथ सुगर रिकवरी में वृद्धि लायी जा सके। वर्तमान वर्ष में गन्ने की चयनित उन्नत प्रभेदों के बीजों पर अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया है। इससे गन्ना किसानों द्वारा उन्नत प्रभेदों से खेती करने पर राज्य में गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि संभव होगा। इस योजनांतर्गत लाभार्थियों का चयन पंचायत स्तरीय आमसभा से पारित सूची के आधार पर गन्ना किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अवयवों पर गन्ना किसानों के लिए योजनायें चलायी जा रही है।

वर्तमान में योजनांतर्गत प्रमाणित बीज वितरण के अनुरूप गन्ने की फसल में बीज विस्थापन दर लगभग 08 प्रतिशत है। बीज विस्थापन दर को 20–21 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में कार्यरत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन पर 2.20 लाख रू० प्रति हे० की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिल / गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को इस हेतु 60,000 / – रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में प्रोत्साहन अनुदान के लिए चयनित कुल 10 प्रभेदों, यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किये जाने का प्रावधान है। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 210 / – रू० प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 240 / – रू० प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। बीज का वितरण ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के द्वारा CFMS के माध्यम से लाभार्थी को किया जाएगा। एक किसान को योजनांतर्गत अधिकतम 2.50 एकड़ के लिए ही अनुदान देय होगा।

इस योजनांतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल / वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50 / – रू० प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रमाणित बीज उत्पादकों को अनुदान की राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के द्वारा CFMS के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य से बाहर के गन्ना शोध संस्थानों से अन्य प्रदेशों के लिए विकसित गन्ना प्रभेदों का इस राज्य के लिए उपयुक्त हेतु क्षेत्रीय परीक्षण / प्रत्यक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 0.1 हेक्टेयर में एक परीक्षण / प्रत्यक्षण किया जाएगा, जिसपर कुल 20,000 / – रू० व्यय अनुमान्य है।

गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर / गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू० प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 01 एकड़ के लिए देय होगा।

गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू० प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

जैव उर्वरक / कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू० प्रति क्वीं० (25 क्वीं0 प्रति हे०) यानि 3750 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

बड चिप / सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण @ 1.50 रू० प्रति पौध अधिकतम 10000 पौध प्रति एकड़ यानि 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ बड चिप / सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करने वाले गन्ना किसानों को देय होगा।

शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू० प्रति एकड के दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के माध्यम से "Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS") के कार्यान्वयन हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 02 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 15.00 लाख रू० (पन्द्रह लाख रू०) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा।

विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू० प्रावधानित है।

20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए एक्सपोजर विजिट हेतु अधिकतम 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन की दर से कुल 18.00 लाख रू० राशि प्रावधानित है।

इस योजनांतर्गत 40 गन्ना कृषकों के लिए 14,000 रू०/प्रशिक्षण की दर से कुल 300 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के०भी०के० के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। 100 रू० प्रशिक्षणार्थी भत्ता का भुगतान प्रशिक्षणार्थी को CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कृषक प्रशिक्षण एकदिवसीय होगा।

महोदय,

राज्य में गन्ना की उत्पादकता वर्ष 2021–22 में 49.70 टन प्रति हेक्टयर तथा गन्ना का चीनी रिकवरी 10.84 प्रतिशत एवं आच्छादन रकवा 2.40 लाख हेक्टेयर हो चुका है तथा वर्ष 2022–23 में चीनी रिकवरी 11.00 प्रतिशत एवं आच्छादन लगभग 2.60 लाख हेक्टेयर अनुमानित है।

प्रोत्साहन पैकेज एवं उसमें सुधार

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज 2006 से प्रेरित होकर राज्य की 8 चीनी मिलों द्वारा क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है। नई डिस्टीलरियों की स्थापना/स्थापित डिस्टीलरियों की क्षमता विस्तार, मिलों के साथ सह विद्युत इकाई स्थापित हुए हैं, जिस पर लगभग 676.35 करोड़ रूपये निवेश हुए हैं। इसके अतिरिक्त लौरिया एवं सुगौली में लगभग 649.72 करोड़ (छः सौ उन्चास करोड़ बहत्तर लाख रू०) रूपयों की लागत से 2 ग्रीनफील्ड सुगर कॉम्पलेक्स स्थापित किए गए हैं। घोषित प्रोत्साहन पैकेज में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तर्ज पर वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार एवं उसे और अधिक प्रभावकारी बनाते हुए गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2014 घोषित की गयी है। जिसके अंतर्गत नई चीनी मिल की स्थापना/क्षमता विस्तार पर अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत अधिकतम 15 करोड़ रूपये अनुदान दिया जाता है तथा डिस्टीलरी/इथनॉल इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार पर अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत

अनुदान या अधिकतम 5 करोड़ रूपये का अनुदान साथ ही को–जेनेरेशन इकाई की स्थापना हेतु अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाता है। प्रोत्साहन पैकेज 2014 को और अधिक आकर्षित बनाने हेतु बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2023 का प्रारूप तैयार कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कोरोना काल में बिहार लौट कर आये श्रमिकों के बीच रोजगार सृजन एवं गन्ना का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा बिहार गुड़ उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति (Bihar Jaggery Industries Investment Promotion Policy) बनायी जा रही है, जिसका प्रारूप तैयार कर मंत्रीपरिषद की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके तहत जैविक गुड़ बनाने के अलावा गुड़ के साथ आंवला, नीम, हल्दी, अदरख, सौंफ इत्यादि मिलाकर पैष्टिक गुड़ का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा विभाग गन्ने से जूस निकालकर उसे बोतल/टेट्रा पैक/केन में भरकर बेचने वाले को प्रोत्साहित करने का भी विचार कर रही है।

बन्द चीनी मिलों का पुनरूद्धार

बिहार राज्य चीनी निगम की बन्द पड़ी इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु सम्पन्न निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से लौरिया एवं सुगौली में नई चीनी मिलें स्थापित हुई है। समस्तीपुर इकाई में जूट एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट (कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित) की स्थापना हेतु निवेशक को हस्तांतरित किया गया है। सकरी एवं रैयाम इकाई पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग की स्थापना निवेशक द्वारा नहीं करने पर उनसे किए गए एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है।

मोतीपुर इकाई में चीनी मिल एवं बिहटा इकाई में लॉजिस्टिक सह इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना हेतु निवेशक को हस्तांतरित किया गया। वर्तमान में उक्त दोनों इकाई का मामला न्यायालय में लंबित है।

वर्त्तमान में, राज्य में 09 चीनी मिलें कार्यरत है और राज्य सरकार नयी चीनी मिल कम्प्लेक्स को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार करने एवं निजीकरण के माध्यम से Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम लि0 के शेष आठ इकाइयों एवं इसके अतिरिक्त फार्म लैंड कुल 2442.41 एकड़ भूमि सरकार के निर्णयानुसार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तातंरित कर दिया गया है।

गन्ना सर्वेक्षण नीति, 2022 एवं बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली

गन्ना कृषकों द्वारा लगाये गये गन्ने के शुद्ध सर्वेक्षण के निमित्त आधुनिक तकनीक पर आधारित नये सर्वेक्षण नीति, 2022 की घोषणा की गई है तथा उसके अनुरूप GPS with HHT के माध्यम से राज्य में गन्ने के आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न करवाया गया है। किसानों का समय पर गन्ने के आच्छादन, आपूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग, आपूर्ति एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने हेतु बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) को विकसित कर लागू किया गया हैं।

ईखापूर्ति हेतु सट्टा नीति की घोषणा

एकरूपता के सिद्धांत पर किसानों के गन्ने का सामयिक खपत सुनिश्चित करने, चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करने के उद्देश्य से तथा मिलों की पेराई क्षमता एवं गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सट्टा एवं आपूर्ति नीति 2022–23 घोषित की गई है।

क्षेत्रीय विकास परिषद् के कमीशन की दर में संशोधन-

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–48 की उपधारा–(i) (संशोधित–1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–एस०ओ० संख्या–12, दिनांक–17.03.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेराई वर्ष 2012–13 से 2020–21 तक ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत किया गया है। सरकार द्वारा चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के क्रम में समय–समय पर अधिपरोपित क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन में घटोत्तरी की गई है। चालू पेराई वर्ष 2022–23 में भी क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर को निर्धारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

ईख क्रय कर में छूट-

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित अधिनियम 1993 (बिहार अधिनियम संख्या–11, 1994) की धारा–49 (2)(ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की चीनी मिलों तथा क्षेत्र आरक्षण के माध्यम से राज्य से गन्ना क्रय करने वाली राज्य के बाहर अर्थात उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती चीनी मिलों को उनके द्वारा पेराई वर्ष 2010–11 से 2018–19 (नौ वर्षों) में खरीदे गये ईख के बावत देय ईख क्रय कर से पूर्णतः विमुक्ति प्रदान की गई है। 01 जुलाई, 2017 से जी० एस० टी० लागू होने के पश्चात् पेराई वर्ष 2019–20 एवं अग्रेतर वर्षों के लिए भी ईख क्रय कर समाप्त हो चुका है, इससे संबंधित कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले रियायतों के अतिरिक्त निवेशक ''वातावरण बन्धु'' उर्जा उत्पादन करने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यही उपयुक्त समय है कि निवेशक आएं और बिहार में गन्ना से मिठास निकालें, क्योंकि ''यदि भारत को उन्नति चाहिए तो बिहार को उन्नत बनाना ही होगा''।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस सेक्टर के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य में गुड़ उत्पादन के लिए गन्ना उद्योग विभाग द्वारा छोटे, मध्यम एवं वृहद् स्तर पर गुड़ एवं खंडसारी स्थापित करने वाले निवेशकों को कृषि विभाग की तरह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

मैनें गन्ना उद्योग विभाग के कार्यकलाप की संक्षिप्त रूप रेखा सदन में प्रस्तुत की है, जिससे उज्जवल भविष्य परिलक्षित होता हैं। हम भविष्य के प्रति पूर्णतः आशान्वित है और दृढ़ संकल्पित है कि नया बिहार में गन्ना उद्योग विभाग का सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान होगा।

हमें विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के परिपक्व एवं कुशल नेतृत्व में चीनी एवं अनुसांगी उत्पादों में बिहार अपने गौरव पूर्ण इतिहास को पुनः स्थापित करेगा। इन्ही आशाओं के परिपेक्ष्य में माँग संख्या–45 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राज्य योजना मद अंतर्गत कुल प्रस्तावित 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कुल प्रस्तावित 23,74,75,000/– (तेईस

करोड़ चौहत्तर लाख पचहत्तर हजार) रू० अर्थात कुल 1,23,74,75,000/– (एक सौ तेईस करोड़ चौहत्तर लाख पचहत्तर हजार) का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिसकी विवरणी संलग्न हैः–

वित्तीय वर्ष 2023–2024 का गैर योजना एवं योजनामद में उपबंध विवरण

क्र० सं०	बजट शीर्ष मांग संख्या–45	2023–24 उपबंध (रू० में)
1	2	3
	गैर योजना–	
1	मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष–00 – लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002–ईख की खेती विपत्र कोड–एन० 2401001080002	152515000
2	मुख्यशीर्ष 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या–45 –उपशीर्ष–0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड– एन० 3451000900002	26206000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय जिला। विपत्र कोड–एन० 2852082010002	24944000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–एन० 2852082010001	33810000
	योग :–	**237475000**
	योजना–	
6	(i) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–पी० 2401001080109 राज्य योजना	332000000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108 ईख विकास विपत्र कोड–पी० 2401007890108 राज्य योजना	64000000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129 ईख विकास विपत्र कोड–पी० 2401007960129 राज्य योजना	4000000
7	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड– पी० 2852082010103 राज्य योजना	498000000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी० 2852087890101 राज्य योजना	96000000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी० 2852087960101 राज्य योजना	6000000
	योग :	**100,00,00,000**
	कुल योग :	**1,23,74,75,000**

माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता** का स्वागत करते हुए गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव **श्री नर्मदेश्वर लाल** एवं साथ में ईखायुक्त **श्री गिरिवर दयाल सिंह**

प्रधान सचिव, ईखायुक्त तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता**

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार